न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हस्तेडा)

मु.न. 83/2017

उनवान

भगवाना पुत्र मुरली, उम्र 61 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदेव
2. गोविन्दराम पुत्र भूराराम
3. प्रभूदयाल पुत्र भूराराम
4. मदन लाल पुत्र भूराराम

   समस्त बालिग जाति कुम्हार, निवासी पेट्रोल पम्प के पास, ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
5. गंगा देवी पुत्री भूरा व गुल्ली देवी, जाति कुम्हार, निवासी बागावास
6. तीजा देवी पुत्री स्व0 भूरा व गुल्ली देवी, जाति कुम्हार, निवासी रेनवाल
7. मीरा देवी पुत्री स्व0 भूरा व गुल्ली देवी, जाति कुम्हार, निवासी लुणियावास
8. गोपाल पुत्र छीतर
9. जीवण पुत्र छीतर
10. पप्पू पुत्र छीतर
11. मंजू पुत्री छीतर
12. शांति पत्नी छीतर
13. बोदूराम पुत्र आनन्दीलाल
14. शंकरलाल पुत्र आनन्दीलाल

    समस्त बालिग जाति कुम्हार, निवासी पेट्रोल पम्प के पास, ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
15. छगन उम्र 47 वर्ष पुत्र पूरा, जाति जाट, निवासी ग्राम बागड़ो का बास तन. आष्टीकलॉ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूँ, जयपुर।
17. शाखा प्रबन्धक महोदय ओ0बी0सी0 बैंक शाखा किशनमानपुरा, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956</u>

निर्णय दिनांक 31.05.2018

पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हस्तेडा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 798/1 रकबा 0.0168 हैक्टेयर ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित हैं, जिस भूमि की प्रार्थी पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला-जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित अराजीयात का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं, अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 प्रार्थी के सींव जोड़ पड़ौसी हैं, जो प्रार्थी की भूमि की सींव मेढ़ आये दिन तोड़–फोड़ कर सीमा विवाद करते हैं एवं बोई गई फसल को आवारा पशुओं से नुकसान कराना चाहते हैं, जिस कारण प्रार्थी ने उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 798/1 का सीमा सम्बन्धी विवाद नही हो, इसलिए दिनांक 05.05.17 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय, चौमूं के आदेश क्रमांक/एल0आर0/1463/दिनांक 02.11.16 की पालना में राजस्व ग्राम हस्तेडा के हाल खसरा नम्बर 798/1 मौके पर पटवारी हल्का हस्तेड़ा के द्वारा मौके पर पहूँच कर सीमांकन उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 880, 791 को स्थायी आधार मानकर, जरीब चलाकर सीमा नाप कर, सीमाज्ञान कर रिपोर्ट तैयार की गई, जिस सीमाज्ञान कार्यवाही दिनांक 05.05.17 के अनुसार प्रार्थी पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनी रूप से अधिकारी है।

प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान कार्यवाही दिनांक 05.05.17 के अनुसार दिनांक 31.05.17 को पत्थरगढ़ी हेतु खड्डा खोदकर पत्थर गाढ़ने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 एवं 8 ता 15 ने सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करने से मना करने से प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं। ऐसे में प्रार्थी स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनी रूप से अधिकारी हैं तथा अप्रार्थी पत्थरगढ़ी नही करने दे रहे हैं, ऐसे में पत्थरगढ़ी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित में है, जिससे अप्रार्थीगण को हानि नही होगी तथा प्रार्थी स्वयं की तन्हा खातेदारी कृषि भूमि का सही रूप से उपयोग–उपभोग कर सकेगा तथा उक्त अनुतोष नहीं दिये जाने से प्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा जिसकी पूर्ति करना असम्भव होगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 798/1 की सीमाज्ञान कार्यवाही दिनांक 05.05.17 के अनुसार पत्थरगढ़ी हेतु अप्रार्थी संख्या 17 को आदेश फरमायें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 05.05.17 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 05.05.17 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हस्तेडा में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner